

4

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या-56/2022-23

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

-बनाम्-

संतोष कुमार चौरसिया

-आदेश:-

03.07.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अध्याचना सं०-12/2022, दिनांक-09.09.2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि बी०एस०सिटी थाना कांड सं०-239/2021, दिनांक-07.12.2021, धारा-379/414/34 भा०द०वि०, लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 के नियम 54 एवं खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा-21 के अन्तर्गत जप्त वाहन पंजीयन सं०-JH09L-9326 एवं ट्रॉली सं०-JH09L-9327 तथा उस पर लदा करीब 100 घनफीट स्टोन चिप्स, वाहन मालिक श्री संतोष कुमार चौरसिया पिता स्व० सुरेन्द्र प्रसाद चौरसिया, सा० उकरीद मोड़, बी०पी०एम०एस०बी०, थाना-सेक्टर 4, जिला के विरुद्ध बिना परिवहन चालान के परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप उनके The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं उस पर लदा करीब 100 घनफीट स्टोन चिप्स को राजसात् की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

वाद का सारांश यह है कि खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, बोकारो के द्वारा दिनांक-07.12.2021 को सुबह 8:30 बजे अवैध खनिज का परिवहन के जाँच के क्रम में बी०एस०सिटी थाना अन्तर्गत कृष्णा मंदिर के समीप वाहन सं०-JH09L-9326 एवं ट्रॉली सं०-JH09L-9327 तथा उस पर लदा करीब 100 घनफीट स्टोन चिप्स को पकड़ा गया। मौका देखकर चालक भागने में सफल रहा। वाहन में किसी भी तरह का खनिज से संबंधित कोई कागजात नहीं मिला। तत्पश्चात विधिवत रूप से जप्ती सूची बना कर वाहन एवं उस पर लदा स्टोन चिप्स तथा वाहन के मालिक/चालक के विरुद्ध बी०एस०सिटी थाना में काण्ड दर्ज किया गया।



5

उक्त के क्रम में प्रतिवादी (वाहन के मालिक) को अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रतिवादी सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहे। उनकी ओर से दाखिल कारण-पृच्छा का अवलोकन किया गया।

प्रतिवादी की ओर से दाखिल कारण-पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान अधिहरण वाद सच्चाईयों पर एवं कानून के दृष्टिकोण से चलाने योग्य नहीं है। वादी के द्वारा विपक्षी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्य से बिल्कुल परे, मनगढ़ंत एवं बेबुनियाद है। विपक्षी संतोष कुमार चौरसिया वाहन सं०- JH09L-9326 एवं ट्रॉली सं०- JH09L-9327 के मालिक है और वह निर्दोष है। उन्हें इस वाद में गलत तरीके से फँसाया गया है। विपक्षी के द्वारा कभी भी अवैध रूप से स्टोन चिप्स का परिवहन नहीं किया गया है। विपक्षी ने यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा मेसर्स माँ तारा हाउसिंग डेवलपमेंट प्रा० लि०, सेक्टर-12 के स्टोर से रानीपोखर सेक्टर-9 कार्यस्थल तक स्टोन को ले जाने के क्रम में कृष्णा मंदिर के समीप खान निरीक्षक के द्वारा प्रश्नगत वाहन को पकड़ा गया है। यद्यपि याचिकाकर्ता के द्वारा सभी संबंधित कागजात को दिखाया गया था। याचिकाकर्ता ने उक्त ट्रैक्टर एवं ट्रॉली के विमुक्ति के लिए विद्वान C.J.M, Bokaro के न्यायालय में विमुक्ति आवेदन दाखिल किया गया था, जिसपर माननीय न्यायालय के द्वारा इस केश के I.O से प्रतिवेदन की माँग की गई थी, जिसपर I.O ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि प्रश्नगत वाहन को विमुक्त करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उसके वाद भी C.J.M, Bokaro ने उनके विमुक्ति आवेदन को खारिज कर दिया। पुनः याचिकाकर्ता के द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बोकारो के न्यायालय में Criminal Revision No. 164/2022 दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा दिनांक-15.09.2022 को आदेश पारित करते हुए प्रश्नगत वाहन एवं ट्रॉली को याचिकाकर्ता के पक्ष में विमुक्त कर दिया गया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह अधिहरण की कार्यवाही विधिक नहीं है। अतः न्यायहित में इस वाद को खारिज करते हुए समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

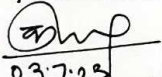


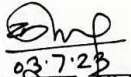
-6-

विपक्षी ओर से दाखिल कारण-पृच्छा एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वर्तमान में प्रश्नगत वाहन सं०- JH09L-9326 एवं ट्रॉली सं०- JH09L-9327 (स्टोन चिप्स को छोड़कर) को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बोकारो के द्वारा दिनांक-15.09.2022 को न्यायिक आदेश पारित कर सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। वाहन पर लदा स्टोन चिप्स के संदर्भ में अब तक किसी के द्वारा भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस वाद को आगे बढ़ाने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं०-12/2022, दिनांक-09.09.2022 को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए 100 घनफीट स्टोन चिप्स (वाहन सं०- JH09L-9326 एवं ट्रॉली सं०- JH09L-9327 का छोड़कर) को राज्य सरकार के हित में राजसात् (Confiscate) किया जाता है। साथ ही जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को निदेश दिया जाता है कि जप्त 100 घनफीट स्टोन चिप्स को निलामी के माध्यम से बिक्री कर प्राप्त राशि नजारत अथवा उचित शीर्ष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


03.7.23
समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


03.7.23
समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।